रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11102023-249306
CG-DL-E-11102023-249306

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 696] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 10, 2023/आश्विन 18, 1945
No. 696] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 10, 2023/ASVINA 18, 1945

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2023

मद क्रमांक 129 (जी)/2023

परिषद् बैठक दिनांक 25.06.2023

BCI:D:5897/2023.—चुनावी विवादों और राज्य विधिज्ञ परिषदों के चुनावों तथा राज्य विधिज्ञ परिषद् से भारतीय विधिज्ञ परिषद् के सदस्य प्रतिनिधियों के चुनावों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद् की केंद्रीय चुनाव न्यायाधिकरणों/समितियों के समक्ष चुनाव याचिकाओं और आवेदनों की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले विनियम।

अध्याय 1

1. राज्य विधिज्ञ परिषद् के सदस्यों के चुनाव के लिए चुनाव न्यायाधिकरणों का गठन और प्राधिकरण :–

भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने वर्ष 2017 में माननीय शीर्ष न्यायालय के निर्देशों/टिप्पणियों के आलोक में विभिन्न राज्य विधिज्ञ परिषद् के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को देखने और सुनिश्चित करने के लिए पहले ही तीन केंद्रीय चुनाव समितियों/न्यायाधिकरणों का संकल्प और गठन कर लिया है।

इस संबंध में नियमों के अनुसार प्रत्येक न्यायाधिकरण का नेतृत्व उच्च न्यायालय के एक पूर्व माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, जो निर्धारित नियमों के अनुसार अध्यक्ष और उच्च न्यायालयों के दो अन्य पूर्व माननीय न्यायाधीश होते हैं।

पिछले अनुभव से पता चला है कि कई स्थानों पर कई वकील, जो सत्यापन फॉर्म भरते हैं, फिर भी मतदाताओं की सूची से गायब हो जाते हैं, जबकि कई नाम बिना किसी सत्यापन फॉर्म के शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा, मतदाता सूचियों में हजारों नाम/पिता के नाम/नामांकन संख्या गलत अंकित हैं। कभी–कभी मतदान केंद्रों पर चुनाव के समय और/या मतगणना के दौरान बहुत ही भद्दे दृश्य निर्मित हो जाते हैं। यहां तक कि बड़े पैमाने पर भ्रष्ट

आचरण अपनाने, वोटों के लिए धन आदि के वितरण और भारतीय विधिज्ञ परिषद् के मानदंडों और नियमों के खिलाफ पोस्टर/होर्डिंग के उपयोग की भी शिकायतें हैं, जिससे उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकार हो सकती है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने समितियों का गठन किया, जो उन्हें ऐसे मुद्दों/विवादों पर निर्णय लेने और मतदाता सूची, नामांकन की स्वीकृति /अस्वीकृति और निर्णय लेने से संबंधित किसी भी आपत्ति से लेकर चुनाव से संबंधित सभी आपत्तियों, मुद्दों, चुनावों में भ्रष्ट आचरण अपनाने या अनुचित साधनों के उपयोग से संबंधित मामले/शिकायतें और/या जैसा भी मामला हो राज्य विधिज्ञ परिषद् या भारतीय विधिज्ञ परिषद् के सदस्यों के चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद/मामले पर निर्णय लेने के लिए निर्णय/समाधान करने का अधिकार देती है।

राज्य विधिज्ञ परिषद् के दिन–प्रतिदिन के मामलों की देखभाल केवल राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा की जाती है, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया के लिए इन ट्रिब्यूनल/समितियों के आदेश या निर्देश राज्य विधिज्ञ परिषद्, रिटर्निंग अधिकारियों और/या पर्यवेक्षकों पर बाध्यकारी होंगे।

ट्रिब्यूनल के पास अंतरिम मामलों, शिकायतों, या अन्य आवेदनों को संक्षेप में शीघ्रता से संबोधित करने और निपटाने की शक्ति होगी, और यह शामिल पक्षों के साथ औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता के बिना, उसके समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ऐसा कर सकता है। इसके अतिरिक्त, ट्रिब्यूनल को कुछ मामलों का स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है और कुछ मामलों में सक्रिय रूप से कार्यवाही शुरू करने की क्षमता निहित है, और चुनाव और मतगणना प्रक्रियाओं के दौरान निष्पक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश या आदेश जारी कर सकता है।

अध्याय–2

1. चुनाव नियमों में "अधिकरण" की परिभाषा :–

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "ट्रिब्यूनल " का अर्थ भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा अपने परिषद् संकल्प दिनांक 21.01.2018 और भारतीय विधिज्ञ परिषद् के अन्य नियमों के तहत गठित केंद्रीय चुनाव ट्रिब्यूनल या समिति (समितियों) से होगा।

2. चुनाव याचिका एवं आवेदन :–

(ए) राज्य विधिज्ञ परिषद् के चुनाव से संबंधित किसी भी शिकायत या मामले या विवाद पर चुनाव न्यायाधिकरण को प्रस्तुत की गई शिकायत या आवेदन या चुनाव याचिका को छोड़कर, जैसा कि यहां बताया गया है और ऐसे तरीके से जैसा कि प्रदान किया जा सकता।

(बी) किसी भी नाम के तहत कोई शिकायत, आवेदन या अभ्यावेदन, यदि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव को रद्द करने के मुद्दे से संबंधित है; या निम्न आधार पर :(1) अवैध/गैरकानूनी अस्वीकृति या नामांकन फॉर्म की स्वीकृति (2) गिनती की प्रक्रिया में कोई भी अवैधता; या (3) चुनाव की प्रक्रिया/मतदाताओं की गिनती प्रक्रिया और/या उम्मीदवारों के परिणाम की घोषणा में कोई अवैधता या अनियमितता, उसे चुनाव याचिका के रूप में माना जाएगा।

(सी) राज्य विधिज्ञ परिषद् के सदस्यों के चुनाव से संबंधित किसी भी मानदंड/संकल्प या नियम के उल्लंघन से संबंधित किसी भी अन्य मुद्दे के लिए शिकायत, आवेदन/अभ्यावेदन दायर किया जा सकता है। ऐसी शिकायत या आवेदन चुनाव के परिणाम घोषित होने से पहले दायर किए जा सकते हैं। ट्रिब्यूनल यह तय करेगा कि ऐसी शिकायतों या आवेदनों को पूर्ण चुनाव याचिका के रूप में माना जाए या ऐसी शिकायतों या आवेदनों पर तत्काल निर्णय लिया जाए।

(डी) चुनाव याचिकाओं के संबंध में चुनाव न्यायाधिकरण में सभी कार्यवाही अधिमानतः अंग्रेजी में या किसी भी स्थानीय भाषा के लिए अनुवादक के साथ आयोजित की जाएगी, जिसे संबंधित पक्षों की कीमत पर प्रदान किया जाएगा और/या जैसा कि न्यायाधिकरण निर्देश दे सकता है।

3. चुनाव याचिकाओं के लिए दस्तावेज़ तैयार करना और दाखिल करने की प्रक्रियाएँ :–

चुनाव याचिकाओं में दायर की जाने वाली सभी याचिकाएं, आवेदन, हलफनामे, नोट आदि, जिनमें उनकी प्रतियां भी शामिल हैं, अंग्रेजी में पंक्तियों के बीच पर्याप्त जगह के साथ साफ सुथरे और सुपाठ्य रूप से मुद्रित या टाइप किए जाएंगे, और/या किसी भी पक्ष द्वारा यदि कोई स्थानीय भाषा उपयोग करने की मांग की जा रही है तो अंग्रेजी में अनुवादित किए जाएंगे, याचिका आदि की स्कैन की हुई प्रति केंद्रीय चुनाव न्यायाधिकरण/चुनाव समिति की पंजीकृत ईमेल आईडी पर ईमेल करनी होगी। कागज के उपयोग और उस पर छपाई के बारे में एकरूपता लाने और कागज

की खपत को कम करने और परिणामस्वरूप, पर्यावरण को बचाने के लिए, बेहतर गुणवत्ता वाले ए–4 आकार के कागज (29.7 सेमी ग 21 सेमी) जिसमें कागज दोनों के किनारे पर मुद्रण के साथ 75 जीएसएम से कम नहीं होना चाहिए। टाइम्स न्यू रोमन, फ़ॉन्ट के साथ – फ़ॉन्ट आकार 14, डेढ़ पंक्ति रिक्ति में (उद्धरण और इंडेंट के लिए – एकल पंक्ति रिक्ति में फ़ॉन्ट आकार 12), बाएं और दाएं पर 4 सेमी और शीर्ष पर 2 सेमी के मार्जिन के साथ और बॉटम का उपयोग याचिकाओं, आवेदन हलफनामों या दायर किए जाने वाले अन्य दस्तावेजों में किया जाएगा। हालाँकि, आवेदन उपरोक्तानुसार ट्रिब्यूनल को ई–मेल के माध्यम से भी किए जा सकते हैं।

इस ट्रिब्यूनल की रजिस्ट्री से सभी संचार या तो संबंधित एडवोकेट–ऑन–रिकॉर्ड के माध्यम से या सीधे ई–मेल के माध्यम से पार्टी को भेजे जाएंगे, जिसके बाद एडवोकेट–ऑन–रिकॉर्ड और प्रैक्टिस के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा। ट्रिब्यूनल के निर्देश के अधीन, हार्ड कॉपी के माध्यम से संचार भेजना अनिवार्य नहीं होगा। पार्टी या उसके एडवोकेट–ऑन–रिकॉर्ड का विवरण, उसका मोबाइल फोन नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप या समान नंबर (यदि उपयोग कर रहा है)। अधिवक्ता नामांकन संख्या और एआईबीई सीओपी नंबर, (यदि लागू हो) होना चाहिए।

जहां ऊपर बताए गए ऐसे आवेदन, याचिका आदि में एक से अधिक शीट शामिल हैं, उन्हें पुस्तक के रूप में सिला/बांधा जाएगा। किसी खण्ड में एक से अधिक मात्रा होने की स्थिति में पहले खण्ड में एक सामान्य सूचकांक रखा जाएगा और प्रत्येक खण्ड का एक अलग सूचकांक संबंधित खंड में रखा जाएगा।

ट्रिब्यूनल के समक्ष सभी दलीलों, आवेदनों, हलफनामों, नोट्स आदि को दाखिल करने के लिए मूल कागजात का 1 सेट + 3 पेपरबुक और उत्तरदाताओं/पक्षों की संख्या के अनुसार अतिरिक्त पेपर बुक की आवश्यकता होगी।

4. चुनाव याचिकाओं की प्रस्तुति :–

चुनाव याचिकाएं या तो व्यक्तिगत रूप से या संबंधित पक्ष द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी वकील द्वारा चुनाव न्यायाधिकरण के सचिव को प्रस्तुत की जाएंगी। (जो भारतीय विधिज्ञ परिषद् के सचिव हैं) या उक्त सचिव समय–समय पर पारित विशेष या सामान्य आदेशों द्वारा ट्रिब्यूनल के अनुमोदन से अन्य अधिकारी, इस संबंध में नियुक्ति कर सकता है।

5. चुनाव याचिकाओं और आवेदनों को समय पर दाखिल करना :–

सभी आवेदनों और/या प्रत्येक चुनाव याचिका में, निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव की तारीख के बारे में जानकारी शामिल होगी या यदि चुनाव में एक से अधिक उम्मीदवार हैं और उनके चुनाव की तारीखें अलग–अलग हैं तो दो तारीखों में से बाद की तारीखें और यह भी दर्शाएगा कि चुनाव याचिका चुनाव पूर्व मुद्दों में कार्यवाही के 24 घंटे के भीतर दायर की गई है और जब पक्ष पूरे चुनाव को रद्द करने की मांग कर रहे हो तब समय सीमा 30 दिनों की रहेगी।

यदि यह मतदाता सूची, नामांकन मामलों आदि से संबंधित किसी अन्य मुद्दे से संबंधित है, तो आवेदन में विवरण देना आवश्यक होगा। सभी आवेदन (चुनाव याचिका को छोड़कर) को जल्द से जल्द दायर किया जाना चाहिए और किसी कार्यवाही का कारण उत्पन्न होने के 24 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए।

6. प्रस्तुति के घंटे और पंजीकरण :–

चुनाव याचिका आवश्यक प्रतियों के साथ, किसी भी समय भारतीय विधिज्ञ परिषद् में ट्रिब्यूनल की रजिस्ट्री में (और/या संबंधित राज्य विधिज्ञ परिषद् में, यदि ट्रिब्यूनल राज्य विधिज्ञ परिषद् में अपनी बैठकें आयोजित कर रहा है) प्रस्तुत की जा सकती है। दोपहर के भोजन के समय को छोड़कर, सोमवार से शुक्रवार तक और पेश होने के तुरंत बाद, प्रस्तुति की तारीख का समर्थन किया जाएगा, और याचिका को चुनाव याचिकाओं के पंजीकरण के लिए बनाए गए एक विशेष रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। चुनाव याचिका की प्रस्तुति के बारे में जानकारी किसी भी समय ईमेल के माध्यम से चुनाव न्यायाधिकरण को भेजी जा सकती है।

हालाँकि, चुनाव के किसी भी मामले से संबंधित आवेदन/शिकायत/अभ्यावेदन कार्यवाही के कारण के 24 घंटों के भीतर दायर किया जा सकता है और ट्रिब्यूनल से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे आवेदन की प्राप्ति के 72 घंटों के भीतर उस विशेष मुद्दे को हल/निर्णय करे। हालाँकि, ट्रिब्यूनल को अगर इस मामले में कोई अत्याधिकता नहीं मिलती है और या ट्रिब्यूनल को लगता है कि मामला पूर्ण रूप से चुनाव याचिका के रूप में माना जाने के लिए उपयुक्त है, तो ऐसे मामले में ऐसी याचिका को चुनाव याचिका ही माना जाएगा; राज्य बार काउंसिल के सदस्यों और

पदाधिकारियों के चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद इस ''चुनाव याचिका'' पर निर्णय लिया जाएगा, हालाँकि, यह तय करना न्यायाधिकरण का काम है कि क्या किसी चुनाव याचिका के लंबित रहने के दौरान परिणाम को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए या ऐसा प्रकाशन चुनाव याचिका के परिणाम की प्रतीक्षा में लम्बित रहेगा।

7. संचार के लिए संपर्क सूत्र :–

(ए) याचिका (या आवेदन/शिकायत) प्रस्तुत होने के बाद, याचिकाकर्ता अपना पता, ईमेल, फोन नंबर देना सुनिश्चित करेगा, जहां यदि याचिका में कोई आपत्तियों से संबंधित कोई भी सूचना हो, जिसे बिना किसी अनुचित देरी के हटाया जा सकता है, उसे संबोधित किया जा सके या उसे भेजा जा सके/सूचित किया जा सके ।

(बी) सभी आवेदनों/चुनाव याचिकाओं को दाखिल करते समय सभी सहायक दस्तावेजों या सबूतों, गवाहों के नाम, यदि कोई हो की प्रतियां संलग्न करना आवश्यक होगा।

8. याचिकाओं और आपत्तियों की जांच :–

ट्रिब्यूनल कार्यालय की रजिस्ट्री यह देखने के लिए कि क्या याचिका कानून की आवश्यकताओं और उस पर लागू नियम के अनुरूप है याचिका की आगे जांच करेगी, और यदि यह कानून और नियमों के अनुरूप नहीं है, तो आपत्तियां उठाएंगी और इसके बारे में ट्रिब्यूनल को सूचित करेंगी। इन आपत्तियों को ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित होने के लिए निर्धारित तिथि पर पार्टी या वकील के ध्यान में लाया जाना चाहिए और ऐसी आपत्तियों को पार्टी या संबंधित वकील द्वारा चुनाव ट्रिब्यूनल के आदेशों के अधीन कार्यालय या न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित समय के भीतर हटा दिया जाना चाहिए, यदि कोई हो, जैसा भी मामला हो।

9. याचिकाओं पर सम्मन और प्रतिक्रिया :–

आपत्तियों को दूर करने के लिए निर्धारित समय के तुरंत बाद, चुनाव याचिका को ऐसे आदेशों के लिए ट्रिब्यूनल के समक्ष रखा जाएगा, जिन्हें पारित करने की आवश्यकता हो सकती है। यदि याचिका खारिज नहीं की जाती है, तो चुनाव न्यायाधिकरण के निर्देश पर उत्तरदाताओं को एक निश्चित तिथि पर (या तो भौतिक या वस्तुतः) न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने और याचिका में किए गए दावे या दावों का जवाब देने के लिए सम्मन जारी किया जाएगा। चुनाव याचिका के मामले में ऐसी तारीख समन जारी होने की तारीख से तीन सप्ताह से पहले नहीं होगी। सम्मन लिखित बयान और मुद्दे के निपटारे के लिए होगा; और उत्तरदाताओं को समन की तामील के लिए प्रदान किए गए तरीके से भेजा जाएगा जिसमें सम्मन, डाक द्वारा, ईमेल द्वारा, एसएमएस और या व्हाट्सएप द्वारा और/या ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अधीन शामिल हो सकते हैं। यथासंभव शीघ्रता से उत्तरदाताओं को सम्मन तामील कराने का सर्वोत्तम प्रयास किया जाएगा।

10. पंजीकृत डाक द्वारा सम्मन की तामील :–

उपरोक्तानुसार सम्मन जारी करने के अलावा, प्रतिवादी को पावती के लिए प्री–पेड पंजीकृत डाक द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए पते पर भी सम्मन भेजा जा सकता है। याचिकाकर्ता को पंजीकृत डाक द्वारा सम्मन के साथ भेजी जाने वाली याचिका की अतिरिक्त प्रतियां प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है। जब विपरीत पक्ष सेवा से इनकार करता है तो विपरीत पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित पावती या डाक सेवक द्वारा समर्थन को सेवा का प्रथम दृष्टया प्रमाण माना जाएगा।

11. लिखित बयानों की प्रतियां प्रस्तुत करना :–

चुनाव याचिका के मामले में जो उत्तरदाता लिखित बयान या दोषारोपणात्मक बयान दाखिल करते हैं, उन्हें याचिकाकर्ता और अन्य उत्तरदाताओं के उपयोग के लिए ऐसे लिखित बयान और दोषारोपणात्मक बयानों की प्रतियां भी प्रस्तुत करनी होंगी, जैसा भी मामला हो, याचिका के प्राप्ति के बाद 30 दिनों की अवधि के भीतर हो सकता है या इससे पहले जैसा कि ट्रिब्यूनल द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। जहां किसी दोषारोपणात्मक बयान में किसी भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया जाता है, तो उस बयान के साथ ऐसे भ्रष्ट आचरण के आरोप और उसके विवरण के समर्थन में कोई हलफनामा संलग्न होना चाहिए।

नोटः याचिकाएं ट्रिब्यूनल की रजिस्ट्री द्वारा निर्धारित ई–मेल आईडी के माध्यम से दायर की जा सकती हैं और सभी सुनवाई का तरीका पार्टियों की सुविधा के आधार पर हाइब्रिड होगा। हालाँकि, साक्ष्य (गवाहों का बयान और जिरह केवल भौतिक माध्यम से ही किया जाएगा।

12. दलीलें और खोज :–

चुनाव याचिका में दलीलें प्राप्त होने के बाद, ट्रिब्यूनल के निर्देश पर एक तारीख तय की जाएगी :(1) दस्तावेजों की खोज के लिए (2) प्रकट किए गए दस्तावेजों का निरीक्षण; और (3) उन प्रलेखों को प्रस्तुत करना जो पार्टियों के कब्जे और शक्ति में हैं।

13. गवाह सूची और प्रक्रिया शुल्क :–

टारोप गठित होने के सात दिनों के भीतर, पार्टियों को गवाहों की सूची दाखिल करनी होगी और उन लोगों के लिए प्रक्रिया शुल्क और यात्रा भत्ता और आहार भत्ता का भुगतान करना होगा जिन्हें शारीरिक रूप से बुलाया जाना आवश्यक है फिर आरोप तय किया जाएगा और चुनाव याचिका सुनवाई के लिए पोस्ट की जाएगी। कोई भी पक्ष उपरोक्त सूचियों में शामिल गवाहों के अलावा अन्य गवाहों की उपस्थिति को लागू करने के लिए प्रक्रिया प्रस्तुत या प्राप्त नहीं करेगा।

बशर्ते कि यह ट्रिब्यूनल के विवेक पर होगा कि वह किसी पक्ष को सूची में शामिल नहीं किए गए खंडन में गवाहों को ऐसी शर्तों पर पेश करने की अनुमति दे, जिन्हें वह लागू करना उचित समझे, यदि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण हैं।

14. गवाहों को सम्मन :–

पक्षकार गवाहों की उपस्थिति के लिए पर्याप्त समय पर गवाह–समन जारी करने के लिए आवेदन करेंगे। पार्टियां सुनवाई की तारीख पर बिना समन के भी गवाह पेश कर सकती हैं, बशर्ते उन्होंने चुनाव याचिका के साथ इसकी एक सूची दायर की हो।

15. चुनाव याचिका के लिए प्रक्रिया शुल्क :–

प्रक्रिया शुल्क के रूप में 30,000/– रुपये की राशि भारतीय विधिज्ञ परिषद् के खाते में जमा की जाएगी और इसका प्रमाण चुनाव याचिका के साथ रजिस्ट्री को प्रस्तुत किया जाएगा। अन्य शिकायतों और/या आवेदनों के साथ रु. 5,000/– का शुल्क संलग्न करना आवश्यक होगा। शुल्क ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार को देय होगा।

16. गवाहों के खर्च के लिए जमा राशि :–

गवाह के लिए समन के लिए आवेदन करने वाले पक्ष को समन के लिए आवेदन करते समय चुनाव न्यायाधिकरण के निर्देशानुसार गवाह के यात्रा भत्ते और आहार भत्ते को कवर करने के लिए पर्याप्त राशि जमा करनी होगी। गवाह को गवाही देने या न्यायाधिकरण द्वारा आरोपमुक्त किए जाने के बाद जमा की गई राशि में से गवाह को भुगतान किया जाएगा।

17. समितियों/न्यायाधिकरणों के लिए बैठक भत्ते और व्यवस्थाएँ :–

समितियों/न्यायाधिकरणों के बैठक भत्ते का भुगतान भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा न्यायाधिकरणों की दिल्ली बैठकों के लिए किया जाएगा। हालाँकि, यदि बैठकें राज्य विधिज्ञ परिषद् में आयोजित की जानी हैं, तो राज्य विधिज्ञ परिषद् उनकी यात्रा, आवास के लिए उचित व्यवस्था करेगी और संबंधित राज्य विधिज्ञ परिषद्, भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा तय किए जाने वाले बैठने के भत्ते का भुगतान करेगी।

18. यदि कोई राज्य विधिज्ञ परिषद् उचित एवं उपयुक्त व्यवस्था करने में असफल रहता है तो उसका खर्चा भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा किया जायेगा। और दिल्ली में बैठने (समग्र स्थिति पर विचार करने के लिए) का खर्च भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा वहन किया जाएगा। बैठक भत्ते की दरें वही होंगी जो निरीक्षण/डी.सी. आदि के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा तय की गई हैं। समिति/ट्रिब्यूनल के अध्यक्षों और सदस्यों का यात्रा व्यय केवल भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा वहन किया जाएगा।

19. नामांकन शुल्क निधि का स्थानांतरण :–

राज्य विधिज्ञ परिषद् उम्मीदवारों के नामांकन शुल्क से प्राप्त कुल राशि का बीस प्रतिशत (जो सभी गैर–वापसी योग्य है) ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार या भारतीय विधिज्ञ परिषद् को हस्तांतरित करेगी ताकि इन खर्चों को वहन किया जा सके।

20. मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कवरेज और निष्पक्ष आचरण :–

रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी या पर्यवेक्षक या सह पर्यवेक्षकों या चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद् के किसी भी नियुक्त अधिकारी द्वारा निर्धारित संवेदनशील मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया के लिए राज्य विधिज्ञ परिषद्/रिटर्निंग अधिकारियों को सीसीटीवी कैमरे या वीडियो – कवरेज प्रदान करना सुनिश्चित करना होगा।

जिसे चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा निर्देशित किया जा सकता है और/या ऐसे बूथों को पहले से ही चिन्हित कर लिया जाए। कोई भी उम्मीदवार, मतदान केंद्रों और/या उसके आसपास या कहीं भी (वोट प्राप्त करने के लिए) यदि किसी भी प्रकार के अनुचित साधन, भ्रष्ट आचरण, मतदाताओं को रिश्वत देना, लंच, डिनर पार्टी, नाश्ते का आयोजन करना, घृणा फैलाने या मतदाताओं को लुभाने के लिए झूठे बयान देकर, मतदाताओं पर धमकी या गैरकानूनी बल का उपयोग करना आदि के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग करता हुआ पाया जाता है तो चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा और ट्रिब्यूनल द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

उपरोक्त किसी भी आरोप वाली इस आशय की शिकायत रिटर्निंग अधिकारी, मतदान अधिकारी या चुनाव उद्देश्य के लिए प्रतिनियुक्त किसी अन्य अधिकारी या पर्यवेक्षक को की जा सकती है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् के रिटर्निंग ऑफिसर या ऑब्जर्वर या मॉनिटरिंग अथॉरिटी ऐसी शिकायत की प्रथम दृष्टया जांच करेंगे और यदि प्रथम दृष्टया मामला स्थापित होता है, तो मामला ट्रिब्यूनल को भेजा जाएगा। ट्रिब्यूनल सामग्रियों की जांच करेगा और अंतिम निर्णय लेगा और यह या तो शिकायत को खारिज कर सकता है या उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर सकता है और/या ट्रिब्यूनल उचित मामलों में किसी विशेष मतदान केंद्र पर पुर्नमतदान का निर्देश भी जारी कर सकता है।

जिस उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है, उसे प्राप्त वोटों की गिनती नहीं की जाएगी और उसके मतपत्र में, अगली वरीयता के पक्ष में डाले गए वोटों को गिना जाएगा, जिससे ऐसे उम्मीदवार को चुनाव से बाहर कर दिया जाएगा।

21. चुनाव अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और सह–पर्यवेक्षकों की नियुक्ति :–

जरूरत पड़ने पर ट्रिब्यूनल, किसी विशेष राज्य में स्थिति का आकलन करने के बाद, चुनाव के संपूर्ण मामलों की देखभाल के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों और/या सह–पर्यवेक्षकों आदि की नियुक्ति के लिए भी निर्देश दे सकता है।

22. चुनाव परिणामों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया :–

हॉलांकि, चुनाव के बाद मतगणना की और तब प्रक्रिया चलेगी और सदस्यों का परिणाम भी घोषित किया जायेगा; यदपि पदाधिकारियों का चुनाव अधिकरण की अनुमति के बाद भी हो सकता है; लेकिन परिणाम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के लिए नहीं भेजे जाएंगे और तब तक अंतिम नहीं होंगे, जब तक कि संबंधित न्यायाधिकरण सभी शिकायतों/आवेदनों/याचिकाओं का निपटारा करने और/या शिकायतों की जांच, यदि कोई हो, करने के बाद उक्त परिणाम को अंतिम रूप से मंजूरी नहीं दे देता है। परिणाम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के लिए ट्रिब्यूनल और भारतीय विधिज्ञ परिषद् (माननीय शीर्ष न्यायालय के आदेश दिनांक 23.03.2018 के अनुसार) से मंजूरी मिलने के बाद ही भेजा जाएगा।

23. चुनाव कार्यक्रम और विवाद समाधान :–

राज्य विधिज्ञ परिषद् के सदस्यों के परिणाम की घोषणा के बाद, भारतीय विधिज्ञ परिषद् संबंधित न्यायाधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद राज्य विधिज्ञ परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के चुनाव के लिए कार्यक्रम तय करेगा। भारतीय विधिज्ञ परिषद् के सदस्य पद के लिए चुनाव इस संबंध में भारतीय विधिज्ञ परिषद् के संकल्पों और नियमों के अनुसार होगा।

24. ट्रिब्यूनल आदेशों का प्रकाशन :–

जैसे ही ट्रिब्यूनल द्वारा अंतिम आदेश पारित किया जाता है जिसमें किसी भी परिणाम को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने का निर्देश दिया जाता है, या आधिकारिक राजपत्र के अलावा अन्यथा, कार्यालय को ऐसे पक्षों की कीमत पर प्रकाशित करना होगा जिन्हें ट्रिब्यूनल निर्देश दे सकता है। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए निर्देशित मामला, राज्य विधिज्ञ परिषद् के निर्वाचित सदस्यों के निर्णय के आधार पर राज्य सरकार के राजपत्र या भारत के राजपत्र जैसा भी मामला हो, में प्रकाशित किया जाएगा। हालाँकि, यदि परिणाम दोनों राजपत्रों यानी भारत

के राजपत्र और राज्य राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं, तो भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को अंतिम माना जाएगा।

25. याचिका में आवेदन :–

प्रत्येक चुनाव याचिका में सभी आवेदनों को इस उद्देश्य के लिए बनाए गए रजिस्टर में अलग से दर्ज किया जाएगा। प्रत्येक चुनाव याचिका के संबंध में रजिस्टर में निम्नलिखित कॉलम होंगेः

आवेदनों का रजिस्टर :

शिकायत/आवेदन संख्या या चुनाव याचिका संख्या :

चुनाव याचिका में आवेदन की क्रम संख्या :

प्रस्तुति की तिथिः आवेदन की प्रकृति :

अंतिम आदेश की तारीख और सार :

26. चुनाव याचिका के अंतर्गत आवेदनों का प्रसंस्करण :–

जब कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो उसे आवश्यक आदेश पारित करने के लिए चुनाव याचिका के हिस्से के रूप में ट्रिब्यूनल के समक्ष रखा जाएगा।

27. लंबित चुनाव याचिकाओं या स्थगन प्रार्थनापत्र में अंतरिम राहत के लिए आवेदन :–

कोई लंबित चुनाव याचिका में ट्रिब्यूनल में किए गए आवेदन/आवेदनों को "चुनाव याचिका संख्या में आवेदन....." इस प्रकार शैली में किया जाएगा।

न्यायाधिकरण के अंतरिम आदेश और अन्य शक्तियाँ :–

केंद्रीय चुनाव न्यायाधिकरण/समिति के पास चुनाव के निष्पक्ष संचालन के लिए कोई अंतरिम आदेश/निर्देश जारी करने या कोई अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति होगी। ट्रिब्यूनल के पास राज्य विधिज्ञ परिषद्, रिटर्निंग ऑफिसर, ऑब्जर्वर या राज्य विधिज्ञ परिषद् के चुनावों से निपटने वाले किसी अन्य प्राधिकारी के किसी भी आदेश/निर्देश/संकल्प की वास्तविकता या वैधता या स्वामित्व की जांच करने की सभी शक्तियां होंगी।

ट्रिब्यूनल/समिति के पास किसी भी मतदान केंद्र पर दोबारा चुनाव का आदेश देने और/या किसी भी चरण में वोटों की दोबारा गिनती का आदेश देने की शक्ति होगी।

ट्रिब्यूनल/समिति के पास किसी भी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या ट्रिब्यूनल/समिति की उम्मीदवारी को रद्द करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर/पर्यवेक्षक की सिफारिश को मंजूरी देने की शक्ति होगी, और/या यदि उसे पर्याप्त सामग्री मिलती है तो चुनाव में कारणों को लिखित रूप में दर्ज कर वह सीधे किसी भी उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द कर सकती है।

28. चुनाव को शून्य घोषित करने का आधार :–

किसी चुनाव को विभिन्न कारणों से अमान्य घोषित किया जा सकता है, जिसमें निम्नलिखित आधार शामिल हैंः

(ए) उम्मीदवारों की योग्यताः यदि उम्मीदवार चुनाव की तारीख पर योग्य नहीं था तो चुनाव रद्द घोषित कर दिया जाएगा।

(बी) भ्रष्ट आचरणः यदि रिटर्निंग उम्मीदवार, उनके चुनाव एजेंट, या रिटर्निंग उम्मीदवार या एजेंट की सहमति से किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है तो चुनाव को शून्य घोषित किया जा सकता है।

(सी) अनुचित नामांकनः यदि कोई नामांकन अनुचित/अवैध रूप से खारिज कर दिया गया है तो चुनाव को शून्य घोषित किया जा सकता है।

(डी) चुनाव परिणामों का अमान्य होनाः लौटने वाले उम्मीदवार से संबंधित चुनाव का परिणाम निम्न कारणों से प्रभावित हो सकता हैः

(1) किसी भी नामांकन की अनुचित/अवैध स्वीकृति।

(2) रिटर्निंग उम्मीदवार के हित में किया गया कोई भी भ्रष्ट आचरण ।

(3) किसी भी वोट को अनुचित तरीके से अस्वीकार करना, अस्वीकार करना या स्वीकार करना।

(4) किसी भी नियम, आदेश या प्रावधानों का अनुपालन न करना।

(ई) एजेंटों द्वारा भ्रष्ट आचरणः रिटर्निंग उम्मीदवार या चुनाव एजेंट की जानकारी के बिना यदि कोई भ्रष्ट आचरण किसी ऐसे एजेंट द्वारा किया जाता है जो चुनाव एजेंट नहीं है, तो ट्रिब्यूनल चुनाव को शून्य घोषित नहीं कर सकता है।

इसके अलावा, निम्नलिखित आधारों पर पूरे चुनाव को रद्द करने के लिए एक चुनाव याचिका भी दायर की जा सकती हैः

(1) वोटों की गिनती की प्रक्रिया/प्रक्रिया में कोई भी अवैधता।

(2) चुनाव की प्रक्रिया/प्रक्रिया या उम्मीदवारों के परिणामों की घोषणा में कोई अवैधता या अनियमितता।

29. याचिका की सामग्री :–

याचिका में शामिल होंगेः

(ए) याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किए गए तथ्यों का विवरण।

(बी) कथित कदाचार का पूरा विवरण, जिसमें शामिल व्यक्तियों के नाम, तारीख और कमीशन का स्थान शामिल है।

(सी) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर और सत्यापन।

(डी) भ्रष्ट आचरण के किसी भी आरोप का समर्थन करने वाला एक हलफनामा।

30. अतिरिक्त दावे :–

याचिकाकर्ता, निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित करने का दावा करने के अलावा, यह घोषणा भी कर सकता है कि वह स्वयं या कोई अन्य उम्मीदवार निर्वाचित हुआ है।

31. चुनाव याचिकाओं का परीक्षण :–

(ए) यदि निर्धारित अवधि के बाद दायर किया गया है, आवश्यक पक्षों की कमी है, या निर्धारित लागत जमा करने में विफल रहता है, तो ट्रिब्यूनल चुनाव याचिका को खारिज कर सकता है।

(बी) एक ही चुनाव के संबंध में कई याचिकाओं को तथ्यों के आधार पर समेकित किया जा सकता है या अलग–अलग सुना जा सकता है।

32. याचिका में संशोधन :–

(ए) कथित भ्रष्ट आचरण के विवरण को शामिल करने के लिए संशोधन की अनुमति है, सिवाय इसके कि यदि मूल याचिका में किसी भ्रष्ट आचरण को जोड़ने की मांग नहीं की गई है।

(बी) प्रत्येक चुनाव याचिका पर त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिए और यदि संभव हो तो इसे दिन–प्रतिदिन जारी रखा जाना चाहिए।

(सी) स्थगन उचित होना चाहिए, और कारण दर्ज किए जाने चाहिए। यदि संभव हो तो याचिका का निपटारा छह महीने के भीतर किया जाना चाहिए।

33. गवाह और साक्ष्य :–

(ए) ट्रिब्यूनल के पास गवाह परीक्षण से इंकार करने का अधिकार है यदि वह अनावश्यक या यह देरी का कारण बनता है।

(बी) अनुचित मुद्रांकन या पंजीकरण के कारण दस्तावेजी साक्ष्य खारिज नहीं किए जाएंगे।

(सी) वोट का कोई खुलासा आवश्यक नहीं है।

34. न्यायाधिकरण का निर्णय :–

न्यायाधिकरण यह कर सकता है:

(ए) याचिका खारिज करें।

(बी) निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित करें।

(सी) याचिकाकर्ता या किसी अन्य उम्मीदवार को विधिवत निर्वाचित घोषित करें।

(डी) ट्रिब्यूनल याचिकाकर्ता या किसी अन्य उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर सकता है यदि उनके पास भ्रष्ट आचरण के बिना वैध वोटों का बहुमत होता।

35. भ्रष्ट आचरण की रिकॉर्डिंग :–

यदि कोई भ्रष्ट आचरण पाया जाता है, तो न्यायाधिकरण इसकी प्रकृति और दोषी पक्षों को रिकॉर्ड कर सकता है।

36. शून्य निर्वाचन का प्रभाव :–

यदि निर्वाचित उम्मीदवार का चुनाव रद्द कर दिया जाता है, तो वे कार्य और कार्यवाही जिनमें उन्होंने राज्य विधिज्ञ परिषद् या भारतीय विधिज्ञ परिषद् के सदस्य के रूप में भाग लिया था, वैध बने रहेंगे।

37. चुनाव याचिका वापस लेना :–

(ए) किसी चुनाव याचिका को ट्रिब्यूनल की अनुमति के बिना, सभी पक्षों को सूचित किए बिना और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किए बिना वापस नहीं लिया जा सकता है।

(बी) यदि कई याचिकाकर्ता हैं तो सभी पक्षों की सहमति आवश्यक है।

(सी) प्रेरित निकासी के लिए छुट्टी नहीं दी जा सकती।

38. याचिकाकर्ता का प्रतिस्थापन :–

एक व्यक्ति जो याचिकाकर्ता हो सकता था, वह नोटिस प्रकाशन के 14 दिनों के भीतर, ट्रिब्यूनल की मंजूरी और लागत के भुगतान के साथ स्थानापन्न कर सकता है।

39. वकील :–

(ए) किसी पार्टी के लिए कार्य करने का इरादा रखने वाले एक वकील को उस पार्टी द्वारा हस्ताक्षरित एक वकालतनामा दाखिल करना होगा जिसमें उसका पता, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप/समकक्ष नंबर, यदि उपलब्ध हो, नामांकन संख्या, एआईबीई–सीओपी नंबर, यदि लागू हो, शामिल होगा।

(बी) सभी नोटिस, प्रक्रियाएं आदि वकील को कार्यालय के पते पर या उसके द्वारा दिए गए नंबर पर ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस द्वारा दी जाएंगी, जब तक कि ट्रिब्यूनल अन्यथा निर्देश न दे, पार्टी ऐसी सेवा को उचित सेवा माना जाएगा।

40. लागत :–

(ए) अवधान–राशि का भुगतान लेखा विभाग को नकद या डीडी में या ट्रिब्यूनल की रजिस्ट्री द्वारा प्रदान किए गए विवरण के ऑनलाइन हस्तांतरण के माध्यम से किया जाएगा।

(बी) जहां, चुनाव याचिका की सुनवाई लंबित होने पर, याचिकाकर्ता को अतिरिक्त अवधानराशि देने का निर्देश दिया जाता है, ऐसी अतिरिक्त अवधान राशि इसी तरह जमा की जाएगी।

(सी) जमा की गई राशि का उपयोग वकीलों की कानूनी सहायता और कल्याण के लिए किया जाएगा।

मिश्रित :–

41. अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में कोई भी दस्तावेज साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ अंग्रेजी अनुवाद न हो जो या तो आधिकारिक अनुवाद होगा या ऐसा अनुवाद होगा जिसकी सटीकता

उच्च न्यायालय के वकील द्वारा प्रमाणित हो। अनुवाद की लागत संबंधित पक्ष द्वारा वहन की जाएगी जब तक कि ट्रिब्यूनल अन्यथा निर्णय नहीं लेता।

42. बार काउंसिल के चुनाव के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद् के समान नियम (और अनिवार्य दिशानिर्देश) 2016 की निरंतरता और चुनाव न्यायाधिकरण नियमों के आलोक में और न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार के अधीन अपवादः

बार काउंसिल के चुनावों के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद् के समान नियम (और अनिवार्य दिशानिर्देश), 2016, 20 सितंबर 2020 को राजपत्रित, लागू रहेंगे, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां वे राज्य विधिज्ञ परिषद् के चुनाव विवादों और राज्य से भारतीय राज्य विधिज्ञ परिषद् के लिए सदस्य प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद् के चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष चुनाव याचिकाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों के साथ संघर्ष में हैं या उनका उल्लंघन कर रहे हैं। बार काउंसिल और राज्य विधिज्ञ परिषद्/भारतीय विधिज्ञ परिषद् के अन्य पदों के लिए या भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत हैं।

43. उच्चतम न्यायालय में अपील :–

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा–38 के तहत प्रावधान के अनुसार पार्टी को ट्रिब्यूनल के आदेश की सूचना दिए जाने के 60 दिनों के भीतर अपील दायर की जा सकती है।

टिप्पणी :– पहले एक अवसर पर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के केंद्रीय चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के खिलाफ याचिकाएँ केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थीं।

44. विशिष्ट प्रावधानों के अभाव में ट्रिब्यूनल के निर्देश की मांग :–

जहां प्रक्रिया/नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, वहां ट्रिब्यूनल के निर्देश की मांग की जा सकती है

तीन केंद्रीय चुनाव न्यायाधिकरण/समितियाँ :–

ट्रिब्यूनल नंबर 1

1. माननीय श्री न्यायमूर्ति एल. नरसिम्हा रेड्डी, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय
2. माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण टंडन, पूर्व न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
3. स्थानीय पूर्व न्यायाधीश को राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा नामित किया जाएगा

ट्रिब्यूनल नंबर 2

1. माननीय श्री न्यायमूर्ति एस मुखर्जी, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, कर्नाटक उच्च न्यायालय
2. माननीय श्री न्यायमूर्ति शिवाजी पांडे, पूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय
3. स्थानीय पूर्व न्यायाधीश को राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा नामित किया जाएगा

ट्रिब्यूनल नंबर 3

1. माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय
2. माननीय श्री न्यायमूर्ति एम. सत्यनारायणन, पूर्व न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय
3. स्थानीय पूर्व न्यायाधीश को राज्य बार काउंसिल द्वारा नामित किया जाएगा

अषोक कुमार पाण्डेय, सयुक्त सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./478/2023-24]

BAR COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2023

Item No. 129(G)/2023

Council Meeting dated 25.06.2023

BCI:D:5897/2023.—Regulations Governing the procedure for Election Petitions and applications Before the Central Election Tribunal/Committees of the Bar Council of India for resolution of issues relating to Election Disputes and other related matters of elections of the State Bar Councils and the Elections of Member Representatives to the Bar Council of India from the State Bar Councils.

CHAPTER-I

1. Constitution and Authority of Election Tribunals for the election of Members of State Bar Council(s): -

The Bar Council of India has already resolved and constituted Three Central Election Committees/Tribunals for looking into and ensuring free and fair elections of different State Bar Councils in the light of directions/observations of Hon'ble Apex Court in the year 2017.

Every Tribunal as per Rules in this regard is headed by a former Hon'ble Chief Justice of High Court who is the Chairman and two other former Hon'ble Judges of High Courts as per the prescribed Rules.

Past experience has shown that at many places many Advocates, who fill up the verification forms, still go missing from the list of voters, while several names are included without any verification forms. This apart, thousands of names/father names/enrolment numbers are wrongly mentioned in voter lists. Sometimes very ugly scenes are created at polling booths, at the time of election, and/or during the counting of votes. Even there are complaints of large-scale adoption of corrupt practices, distribution of money etc. for votes, and the use of posters/hoardings against the norms and Rules of Bar Council of India, which makes the candidature of a candidate liable to be cancelled/rejected. The Bar Council of India constituted the Committee(s) empowering them to adjudicate and decide such issues/disputes and also to decide/resolve all the objections, issues relating to elections right from any objection relating to electoral roll, acceptance/rejection of nomination, matters/complaints relating to adoption of corrupt practices or use of unfair means in the elections and/or to decide any sort of dispute/matter relating to election of Members of State Bar Council or Bar Council of India as the case may be. The day to day affairs of the State Bar Councils are to be looked after by the State Bar Councils only, but the orders or directions of these Tribunals/Committees will be binding on the State Bar Councils, Returning Officers and/or the Observers with regard to the process of election.

The Tribunal shall have the power to address and dispose off interim matters, complaints, or other applications expeditiously in a summary manner, and it may do so without requiring a formal hearing with the involved parties, on the basis of documentary evidence before it. Additionally, the Tribunal is empowered to take cognizance of some matters suo motto and is vested with the ability to proactively initiate proceedings in certain instances, and may issue directives or orders as necessary to uphold the principles of fairness and transparency throughout the election and counting processes.

CHAPTER-II

1. Definition of "The Tribunal" in Election Rules:

In these rules, unless the context otherwise requires,-

"The Tribunal " shall mean the Central Election Tribunal or Committee(s) constituted by the Bar Council of India vide it's Council resolution dated 21.01.2018 and other Rules of the Bar Council of India.

2. The Election Petition and Application:-

(a) No complaint or matter or dispute relating to election to State Bar Council/s shall be called into question except by way of filing a complaint or an application or the election petition presented to the Election Tribunal as referred hereinunder and in such manner as may be provided for.

(b) A complaint, or application or representation under whatsoever nomenclature if the same directly or indirectly relates to issue of setting aside the election as a whole either on the ground of (i) Illegal/Unlawful rejection or acceptance of a nomination form; (ii) Any illegality in the process of counting; or (iii) any illegality or irregularity in the process/procedure of election, counting of voters and/ or in declaration of result of candidates, the same shall be treated as a Election Petition.

(c) The complaint(s), application/representation shall/may be filed for any other issue relating to violation of any norms/resolution or rule relating to election of Members of State Bar Council. Such complaint or Applications may be filed before the declaration of result of elections.

The Tribunal shall decide whether to treat such complaints or applications as full fledged Election Petition or to take an immediate decision on such complaints or applications.

(d) All proceedings in the Election Tribunal in respect of election petitions shall be preferably conducted in English or with a translator for any vernacular language being so used, being provided at the cost of the parties concerned and/or as the Tribunal may direct.

3. Document Preparation and Filing Procedures for Election Petitions:

All petitions, applications, affidavits, notes, etc. including copies thereof to be filed in election petitions shall be either printed, or typed, neatly and legibly with sufficient space between lines in English, and/or translated in English, if any vernacular language is being sought to be used by any of the parties. A scanned copy of the petition etc. has to be emailed to the registered email id of the Central Election Tribunal/Election Committee.

With a view to bringing uniformity about the use of paper & printing thereon and to minimizing consumption of paper & consequently, to save the environment, superior quality A4 size paper (29.7 cm x 21 cm) having not less than 75 GSM with printing on both sides of the paper with Font - Times New Roman, Font size 14, in one and half line spacing (for quotations and indents – font size 12 in single line spacing), with margin of 4 cm on left & right and 2 cm on top & bottom, shall be used in the petitions, applications affidavits or other documents to be filed. However, the applications may also be made through e-mail to the Tribunal as aforesaid.

All communications from the Registry of this Tribunal shall only be sent either through the concerned Advocates-on-Record or directly to the party through e-mail followed by an SMS alert on the registered mobile number of the Advocate-on-Record and the practice of sending the communication through hard copy shall not be mandatory, subject to the direction of the Tribunal. The details of party or of his Advocate-on-Record should bear, his mobile phone number, email id, whatsapp or similar number (if using) enrolment number and AIBE CoP Number, (if applicable),

Where such applications petitions etc. as aforesaid consist of more sheets than one, they shall be stitched/bound in book form. A common index shall be placed in the first volume in case there are more than one volume in a matter and a separate index of each volume shall be placed in the respective volume(s).

1 set of original papers + 3 paperbooks plus additional paper books as per number of respondents/parties, shall be required to be filed of all pleadings, applications, affidavits, notes etc before the Tribunal.

4. Presentation of Election Petitions:

Election petitions shall be presented, either in person or by an Advocate duly authorized in this behalf by the party concerned, to the Secretary of the Election Tribunal (who is Secretary of the Bar Council of India) or to such other officer as the said Secretary may, with the approval of the Tribunal by special or general orders passed from time to time, appoint in this behalf.

5. Timely Filing of Election Petitions and Application/s

All applications and/or every election petition shall, contain information as to the date of election of the returned candidate or if there be more than one returned candidate at the election and the dates of their election are different, the later of the two dates and shall also show that the election petition is filed within 24 hours of cause of action in pre-election issues; and within this time limit will be of thirty days in case the party seeks setting aside the entire election through an election petition.

If it relates to any other issue relating to voters' list, nomination matters etc., the details shall be required to be given in the application. All the application(s) (except election petition) shall be required to be filed at the earliest and not beyond 24 hours of the time when the cause of action arises.

6. Presentation Hours and Registration:

The election petition alongwith the necessary copies may be presented, at any time at the registry of the Tribunal at Bar Council of India (and/or at concerned State Bar Council, if the Tribunal is holding it's meetings at the State Bar Council/s), excluding lunch hours, from Monday to Friday and immediately after it is presented, the date of Presentation shall be endorsed thereon, and the petition shall be entered in a special register maintained for the registration of election petitions. Information about the presentation of the election petition may also be sent to the Election Tribunal forthwith by way of email at anytime.

However, the applications/complaints/representations relating to any matter of election may be filed within 24 hours of the cause of action and the Tribunal is expected to resolve/decide that particular issue preferably

within 72 hours of the receipt of such application. However, if the Tribunal, does not find any urgency in the matter and/or if the Tribunal deems fit that the matter is fit to be treated as a full-fledged Election Petition, then in such case (s)such petition will be treated as "Election Petition" to be decided after the declaration of result of the election of the Members of State Bar Council and of the office- bearers; However, it is for the Tribunal to decide whether the result should be published in the official Gazette during the pendency of any Election Petition or whether such publication shall await the result of the election petition.

7. Contact Information for Communication:

(a) After the petition (or application/complaint) is presented, the petitioner shall ensure to furnish his address, email, phone number, where any communication relating to objections, if any in the petition, may be addressed to or served on him/informed to him, which may be removed without any unreasonable delay.

(b) All applications/election petitions shall be required to accompany copies of all the supporting documents or evidence, name(s) of witnesses, if any, at the time of filing.

8. Examination of Petitions and Objections:

The Registry of the Tribunal office shall further examine the petition with a view to see whether the petition is in conformity with the requirements of law and the rule applicable to the same, and if it is not in conformity with law and the rules, raise objections and intimate the Tribunal of the same. These objections should be brought to the notice of the party or the advocate on the date fixed for attendance before the Tribunal and such objections shall have to be removed by the party or the advocate concerned subject to the orders of the Election Tribunal, if any, within the time prescribed by the office or the Tribunal, as the case may be.

9. Summons and Response to Petitions:

Immediately after the time fixed for the removal of objections, the Election Petition shall be placed before the Tribunal for such orders as may be required to be passed. If the petition is not dismissed, the summons, on the direction of the Election Tribunal shall be issued to the respondents to appear before the Tribunal on a fixed date (either physically or virtually) and answer the claim or claims made in the petition. In case of election petition such date shall not be earlier than three weeks from the date of the issue of the summons. The summons shall be for written statement and settlement of issue; and shall be served on the respondents in the manner provided for the service of summons which may include summons, by post, by email, by sms and or whatsapp and/or subject to the directions of the Tribunal. Best endeavour shall be made to serve the summons on the respondents as expeditiously as possible.

10. Service of Summons by Registered Post:

In addition to the issue of summons as aforesaid, a summons may also be sent to the respondent to the address given by the petitioner by registered post pre-paid for acknowledgment. The petitioner may be required to furnish extra copies of the petition to be served along with the summons by registered post. The acknowledgment purporting to be signed by the opposite party or an endorsement by a postal servant when the opposite party refuses service shall be deemed to be prima facie proof of the service.

11. Furnishing Copies of Written Statements:

In case of Election Petition those of the respondents who file written statements or recriminatory statements shall also furnish copies of such written statement and recriminatory statements for the use of the petitioner and other respondents, as the case may be within a period of 30 days after receipt of the petition, or earlier as may be directed by the Tribunal. Where a recriminatory statement alleges any corrupt practice, the statement shall be accompanied by any affidavit in support of the allegation of such corrupt practice and the particulars thereof.

Note: The pleadings may be filed through e-mail ID prescribed by the Registry of the Tribunal and the mode of all the hearings shall be Hybrid depending on the convenience of the parties. However, the evidence (deposition and cross-examination of witnesses shall only be done through physical mode).

12. Pleadings and Discovery:

After the pleadings in the election petition are received, a date shall be fixed at the direction of the Tribunal for (1) the discovery of documents: (2) inspection of the documents disclosed; and (3) the production of documents which are in the possession and power of the parties.

13. Witness List and Process Fees:

Issues will then be settled and the election petition will be posted for hearing. Within sixty days of the settlement of issues, parties shall file list of witnesses and pay the process- fees and the travelling allowance

and the diet allowance for those of them who are required to be summoned physically. No party shall produce or obtain process to enforce the attendance of witnesses other than those contained in the above lists:

Provided that it will be in the discretion of the Tribunal to allow a party to produce witnesses in rebuttal not included in the list on such terms as it may deem fit to impose, if there are sufficient reasons to do so.

14. Summoning Witnesses:

Parties shall apply for the issue of witness-summons sufficiently in time for the attendance of witnesses after service. Parties may also produce witness without a summon on the date of the hearing, provided they have filed a list of the same alongwith election petition.

15. Process Fees for Election Petition:-

A sum of Rs.30,000/- shall be deposited as process fees in the account of Bar Council of India and the proof of the same shall be furnished to the Registry along with the Election Petition. The other complaints and/or applications shall be required to accompany a fee of Rs.5,000/-. The fee shall be payable to the Registrar of the Tribunal.

16. Deposits for Witness Expenses:

A party applying for a summons to a witness shall be required to deposit at the time of applying for summons a sum sufficient to cover the travelling allowance and the diet allowance of the witness according to the direction of the Election Tribunal.

Payment shall be made to the witness out of amounts so deposited after the witness has given evidence or he is discharged by the Tribunal.

17. Sitting Allowances and Arrangements for Committees/Tribunals:

The sitting allowances of the Committees/Tribunals will be paid by the Bar Council of India for Delhi sitting(s) of Tribunal(s). However, if the meetings are to be held at State Bar Council, the State Bar Councils will make proper arrangements for their travel, accommodation and the respective State Bar Council shall pay the sitting allowances, to be fixed by the Bar Council of India.

18. If any State Bar Council fails to make proper and suitable arrangements, the expenses will be done by Bar Council of India. And for sitting at Delhi (to consider the overall situation), the expenses will be borne by the Bar Council of India. The rates of sitting allowances will be same as fixed by Bar Council of India for Inspection/D.C.'s etc. The travelling expenses of the Chairmen and Members of the Committee/Tribunal will be borne by the Bar Council of India only**.**

19. Transfer of Nomination Fee Funds:

The State Bar Councils shall transfer twenty percent of total amount received from nomination fees of the candidates (which is all non-refundable) to the Registrar of the Tribunal or to the Bar Council of India so that these expenses could be borne**.**

20. CCTV Coverage and Fair Conduct at Polling Booths:

The State Bar Councils/Returning Officers have to ensure to provide CCTV cameras or video-coverage for the process of polling at sensitive polling booths earmarked by the Returning Officer or Assistant Returning Officer(s) or the Observer or Co-Observer(s) or any of the Officer of Bar Council of India deputed for monitoring the election process. Such booths should be marked out in advance and/or who may be directed for such coverage by the Election Tribunal. Any candidate, if found using any sort of unfair means, corrupt practice, bribing the voters, throwing lunch, dinner parties, breakfast misuse of Social Media for spreading hatred or wooing the voters by making false statements, using threats or unlawful force upon voters etc. in and/or around the polling booths or anywhere (for getting votes) shall be debarred from contesting elections and their candidatures will be cancelled by the Tribunal.

A complaint to this effect containing any of aforementioned allegations may be made either to Returning Officer, Polling Officer or any other Officer or Observer deputed for the Election purpose. The Returning Officer or the Observer or the Monitoring Authority of Bar Council of India shall hold a prima-facie enquiry into such complaint and if a prima-facie case is established, the matter shall be referred to the Tribunal. The Tribunal shall examine the materials and take the final decision and it may either dismiss the complaint or cancel the candidature of the candidate and/or the Tribunal may also issue a direction of re-polling on any particular polling booth in appropriate cases.

The votes obtained by a candidate whose candidature is cancelled shall not be counted and in his ballot papers, the votes casted in favour of next preference shall be counted, treating such candidate to be eliminated from the election.

21. Appointment of Election Officers, Observers, and Co-Observers:

The Tribunal, may also, at its own, after assessing the situation in a particular state if there is a need, may direct for appointment of Central Observers and/or Co-Observers etc., to look after the entire affairs of the elections.

22. Approval Process for Election Results:

That though the counting process will go on after elections and the result of the members will also be declared; and though election of office bearers may also be held after seeking the permission of the tribunal; But the results will not be sent for publication in the official gazette and will not attain finality, unless the concerned Tribunal finally approves the said result after disposing of all the complaints/applications/petitions and/or holding enquiry, if any, into the complaints made. The result will be sent for publication in the official gazette only after getting approval from the Tribunals and the Bar Council of India (as per order dated 23.03.2018 of Hon'ble Apex Court).

23. Election Schedule and Dispute Resolution:

After the declaration of result of Members of State bar Council, the Bar Council of India shall fix the schedule for the elections of the posts of Chairman, and Vice-Chairman of State Bar Council after getting the approval from the concerned Tribunals. The election for the post of Member, Bar Council of India shall be held as per Resolutions and Rules of Bar Council of India in this regard.

24. Publication of Tribunal Orders:

As soon as final order is passed by the Tribunal directing any result to be published in the Official Gazette, or otherwise than in the Official Gazette, the office shall get the same published at the cost of such of the parties as the Tribunal may direct in that behalf. The matter directed to be published in the Official Gazette shall be published in the State Government Gazette or the Gazette of India, as the case may be, depending upon the decision of elected Members of State Bar Council. However, if the results are published in both the Gazette(s) i.e. Gazette of India and State Gazette, the date of publication in the Gazette of India shall be treated to be final.

25. Application in the Petition

All applications in each Election Petition shall be separately recorded in a register maintained for the purpose. The Register in respect of each election petition shall have the following columns:-

Register of Applications

Complaint/Application No.

OR

Election Petition No.

Serial No. of Application in the Election petition

Date of Presentation

Nature of Application

Date and substance of final order

26. Processing of Applications within the Election Petition

When an application is filed, the same shall be placed before the Tribunal as part of the Election petition for passing necessary order.

27. Stay Applications or Petition for Interim Relief in Pending Election Petitions

Any Application(s) made to the Tribunal in a pending election petition shall be styled as 'Application in the Election Petition No..."

Interim Orders and other powers of the Tribunal(s): -

The Central Election Tribunal/Committee shall have power to issue any interim order/direction or to pass any interim order for the fair conduct of elections. The Tribunal shall have all the powers to examine the genuineness or legality or proprietary of any order/direction/resolution of State Bar Council, Returning Officer, Observer or any other authority dealing with the elections of State Bar Council.

The Tribunal/Committee shall have the power to order for re-election on any polling Booth(s) and/or to order for re-counting of votes at any stage.

The Tribunal/Committee shall have the power to approve the recommendation of the Returning Officer/Observer for cancellation of the candidature of any contesting candidate or the Tribunal/Committee, and/or if it finds sufficient material it can directly cancel the candidature of any candidate in the Election for the reasons to be recorded in writing.

28. Grounds for Declaring an Election Void:

An election may be declared void for various reasons, which encompass the following grounds:

(a) Qualification of Candidates: An election shall be declared void if the candidate was not qualified on the date of the election.

(b) Corrupt Practices: An election may be declared void if any corrupt practice has been committed by the returning candidate, their election agent, or any person with the consent of the returning candidate or the agent.

(c) Improper Nomination: An election may be declared void if any nomination has been improperly/illegally rejected.

(d) Invalidation of Election Results: The result of the election, concerning the returning candidate, may be affected due to:

  (i) Improper/illegal acceptance of any nomination.

  (ii) Any corrupt practice committed in the interests of the returning candidate.

  (iii) Improper refusal, rejection, or reception of any vote.

  (iv) Noncompliance with any rules, orders, or provisions.

(e) Corrupt Practices by Agents: If a corrupt practice is committed by an agent who is not the election agent without the knowledge of the returning candidate or the election agent, the Tribunal may not declare the election void.

Furthermore, an election petition may also be filed to set aside the entire election based on the following grounds:

  (i) Any illegality in the process/procedure of counting votes.

  (ii) Any illegality or irregularity in the process/procedure of the election, or declaration of the results of the candidates.

29. Contents of Petition:

The petition shall include:

(a) Statement of facts relied upon by the petitioner.

(b) Full particulars of alleged malpractice, including names of persons involved, date, and place of commission.

(c) Signature and verification by the petitioner as required by the Code of Civil Procedure, 1908.

(d) An affidavit supporting any allegation of corrupt practice.

30. Additional Claims:

The petitioner, in addition to claiming the election of the returned candidate as void, may claim a declaration that they themselves or another candidate has been elected.

31. Trial of Election Petitions:

(a) The Tribunal may dismiss the election petition if it is filed after the prescribed period, lacks necessary parties, or fails to deposit the prescribed costs.

(b) Multiple petitions regarding the same election may be consolidated or heard separately based on facts.

32. Amendment of Petition:

(a) Amendments to include particulars of alleged corrupt practice are allowed, except if seeking to add a corrupt practice not in the original petition.

(b) Every election petition should be expedited and, if possible, continue from day to day.

(c) Adjournments must be justified, and reasons recorded. The petition should be disposed of within six months, if possible.

33. Witnesses and Evidence:

(a) The Tribunal has the authority to refuse witness examination if it deems unnecessary or it is likely to cause delay.

(b) Documentary evidence won't be rejected due to improper stamping or registration.

(c) No disclosure of the vote is required.

34. Decision of the Tribunal:

The Tribunal may:

(a) Dismiss the petition.

(b) Declare the election of the returned candidate void.

(c) Declare the petitioner or another candidate duly elected.

(d) The Tribunal may declare a petitioner or another candidate elected if they would have had a majority of valid votes without corrupt practices.

35. Recording Corrupt Practices:

If a corrupt practice is found, the Tribunal may record its nature and the guilty parties.

36. Effect of Void Election:

If the election of a returned candidate is voided, acts and proceedings in which they participated as a member of State Bar Council or Bar Council of India remain valid.

37. Withdrawal of Election Petition:

(a) An election petition cannot be withdrawn without the Tribunal's leave, communicated to all parties and published in the Official Gazette.

(b) Consent of all parties is required if there are multiple petitioners.

(c) Leave cannot be granted for motivated withdrawals.

38. Substitution of Petitioner:

A person who could have been the petitioner may substitute within 14 days of notice publication, with approval of Tribunal and payment of costs.

39. Advocates

(a) An Advocate intending to act for a party shall file a Vakalatnama signed by that party providing his address, email id, whatsapp/equivalent number, if available, enrolment number, AIBE-CoP number, if applicable.

(b) All notices, processes, etc. shall be served on the Advocate at the office address or by email, whatsapp, sms at his number, given by him, unless the Tribunal otherwise directs, such service will be regarded as proper service on the party.

40. Costs:

(a) The security for costs shall be paid in cash or DD to the Accounts Department or by way of online transfer to the details so provided by the Registry of Tribunal.

(b) Where, pending the trial of the election petition, a petitioner is directed to give further security for costs, the amount of such further costs shall be similarly deposited.

(c) The amount deposited shall be utlised for Legal Aid and Welfare of Advocates.

Miscellaneous:

41. No document in any language other than English, shall be admitted in evidence unless it is accompanied by English translation which shall either be the official translation or a translation the accuracy of which is certified by an Advocate of the High Court. Costs of the translation shall be borne by the party concerned unless the Tribunal decides otherwise.

42. **Continuation of Bar Council of India Uniform Rules (and Mandatory Guidelines) for the Elections of Bar Councils, 2016, and Exceptions in Light of Election Tribunal Rules and Subject to Tribunal's Jurisdiction:**

The Bar Council of India Uniform Rules (and Mandatory Guidelines) for the Elections of Bar Councils, 2016, gazetted on 20th September 2020, shall remain in force, except in cases where they are in conflict with or are in violation of the Rules Governing Election Petitions Before the Election Tribunal of the Bar Council of India for Election Disputes of State Bar Councils and the Election of Member Representatives to the Bar Council of India from State Bar Councils and for other posts of State Bar Councils/Bar Council of India or are contrary to directives issued by the Bar Council of India.

43. Appeal to Supreme Court

An appeal may be filed within 60 days of the Tribunal's order being communicated to the party as provided under Section-38 of the Advocates Act, 1961.

Note:- On earlier occasions, the petitions were filed against the order passed by the Central Election Tribunal (s) of B.C.I. only before the Hon'ble Supreme Court.

44. Seeking Tribunal's Direction in Absence of Specific Provisions:

Where no specific provision is made in the procedure/rules the direction of the Tribunal may be sought

The Three Central Election Tribunals/Committees: -

Tribunal No. 1

1. Hon'ble Mr. Justice L. Narasimha Reddy, Former Chief Justice, Patna High Court
2. Hon'ble Mr. Justice Arun Tandon, former Judge, High Court of Allahabad
3. Local former Judge to be nominated by the State Bar Council

Tribunal No. 2

1. Hon'ble Mr. Justice S. Mukherjee, Former Chief Justice, High Court of Karnataka
2. Hon'ble Mr. Justice Shivaji Pandey, former Judge, Patna High Court
3. Local former Judge to be nominated by the State Bar Council

Tribunal No. 3

1. Hon'ble Mr. Justice Rajendra Menon, Former Chief Justice, High Court of Delhi
2. Hon'ble Mr. Justice M. Sathyanarayanan, former Judge, Madras High Court
3. Local former Judge to be nominated by the State Bar Council

ASHOK KUMAR PANDEY, Jt. Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./478/2023-24]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.10.11 20:17:22 +05'30'